RD 848319634 IN

Postal upload

No. 4-14/2016-SPG

Government of India

Ministry of Communications

Department of Posts

(Personnel Division)

Dak Bhawan, Sansad Marg,

New Delhi - 110 001

Dated : 18.08.2017

To

The General Manager,
Centre for Excellence and Postal Technology,
Mysore – 570010,
Karnataka

Subject: Uploading of notified Indian Postal Service (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2017 – regarding.

Kindly find enclosed herewith a copy of gazette notified Indian Postal Service, Group 'A' posts Recruitment Rules, 2017. In this context, it is requested to upload the same on the Department's website at prominent place for information of all concerned.

Encl.: As above.

Manoj Sharma

(Manoj Sharma)

Assistant Director General (SGP)

Centre for Excellence in Postal Technology, Mysore-570010

22 AUG 2017

Director	A.D.(Admin)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 688] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2017/श्रावण 19, 1939
No. 688] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 2017/SRAVANA 19, 1939

संचार मंत्रालय
(डाक विभाग)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 1010(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय डाक सेवा (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2016 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, भारतीय डाक सेवा के समूह 'क' के पदों पर भर्ती की पद्धति तथा सेवा-शर्त का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय डाक सेवा (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ख) किसी ग्रेड के सम्बंध मे "विभागीय प्रोन्नति समिति" – से ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसका गठन इन नियमों की अनुसूची 3 में यथा-उपदर्शित किसी ग्रेड में प्रोन्नति पर विचार करने के लिए किया गया हो;

(ग) किसी ग्रेड के सम्बंध मे "विभागीय पुष्टिकरण समिति" – से ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसका गठन इन नियमों की अनुसूची 3 में यथा-उपदर्शित किसी ग्रेड में पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए किया गया हो;

(घ) "विभागीय छान-बीन समिति" से ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसका गठन इन नियमों की अनुसूची 3 में उपदर्शित कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अकृत्यिक चयन ग्रेड) में नियोजन पर विचार करने और अनुसूची 4 में यथा-उपदर्शित अकृत्यिक उन्नयन प्रदान करने के लिए किया गया हो;

(ङ.) "परीक्षा" से केंद्रीय सेवा के समूह 'क' की भर्ती के लिए आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "ग्रेड" से अनुसूची 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट कोई ग्रेड अभिप्रेत है;

(ज) किसी ग्रेड में "नियमित सेवा" से विहित प्रक्रिया के अनुसार उस ग्रेड में चयन के पश्चात ग्रेड में की गई सेवा की अवधि से है, और जिसमें ऐसी अवधि या अवधियाँ भी सम्मिलित है जिसमें इन नियमों की अधिसूचना के समय पहले से सेवारत व्यक्तियों की ज्येष्ठता के प्रयोज्यों को ध्यान में रखा गया हो, जिसके दौरान किसी अधिकारी को उसके छुट्टी पर जाने या प्रशिक्षण या विदेश में कार्य के कारण वह ग्रेड न मिला हो;

(झ) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" का अर्थ वही है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खण्ड (24) और खण्ड (25) में उसका है;

(ञ) "अन्य पिछड़े वर्ग" में सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित जाति या और समुदाय सम्मलित होंगे;

(ट) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित भारतीय डाक सेवा अभिप्रेत है;

(ठ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से अभिप्रेत है।

3. **सेवा का गठन.**—(1) भारतीय डाक सेवा, समूह 'क' नाम से ज्ञात एक सेवा का गठन किया जाएगा जिसमें नियम 6 और नियम 7 के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्ति सम्मिलित होंगे।

(2) सेवा में सम्मलित सभी पदों को समूह 'क' पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(3) उप नियम 3(1) में यथा निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा की गई नियमित निरंतर सेवा की गणना, जिसे उन्होंने इन नियमों के आरंभ होने से पहले पूर्ण किया गया हो, ज्येष्ठता, पुष्टिकरण, प्रोन्नति, अकृत्यिक उन्नयन और पेंशन के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

4. **नियंत्रक प्राधिकारी.**—सेवा का **नियंत्रक** प्राधिकारी भारत सरकार, संचार मंत्रालय, डाक विभाग होगा।

5. **ग्रेड, प्राधिकृत संख्या और इसका पुनर्विलोकन.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर सेवा के विभिन्न ग्रेडों के प्राधिकृत स्थायी कर्मचारियों की संख्या, प्रत्येक ग्रेड मे पदों की संख्या तथा उससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में लेवल, अनुसूची-1 में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

(2) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से ही सेवा के विभिन्न ग्रेडों में प्राधिकृत स्थायी कर्मचारियों की संख्या वह होगी जो कार्यभार पर निर्भर परिवर्तन के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए ।

6. **सेवा के सदस्य.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर इस सेवा में ऐसे अधिकारी सम्मिलित होंगे जिन्हें अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट विभिन्न ग्रेडों में भारतीय डाक सेवा, समूह 'क' में नियमित आधार पर पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।

(2) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात किसी ग्रेड के कर्तव्य पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तारीख से तत्स्थानी ग्रेड में सेवा का सदस्य होगा।

7. **सेवा में नियुक्तियां.**—(1) सेवा के प्रारंभिक गठन के पश्चात किसी भी ग्रेड की रिक्ति को इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति में भरा जाएगा।

(2) कनिष्ठ समयमान की पचास प्रतिशत रिक्तियों को सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए और अधिसूचित नियमों के अनुसार आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

(3) कनिष्ठ समयमान की शेष पचास प्रतिशत रिक्तियों को अनुसूची-3 के तदनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर आयोग के साथ परामर्श करके अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट उपाबंधों के अनुसार डाक सेवा, समूह 'ख' में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 9 (रु. 53,100 – 1,67,800) और ज्येष्ठ पोस्टमास्टर ग्रेड में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 (रु. 47,600 – 1,51,100) के पदों पर प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

(4) सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अकृत्यिक चयन ग्रेड) के सिवाए ज्येष्ठ समयमान और उससे ऊपर के पदों पर नियुक्ति, अनुसूची-2 के उपाबंधों के अनुसार, अनुसूची-3 के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर

'चयन' द्वारा की जाएगी। कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अकृत्यिक चयन ग्रेड) पर नियोजन ज्येष्ठता के आधार पर किया जाएगा जोकि अनुसूची-3 के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर उपयुक्तता के अध्यधीन होगा।

8. **परिवीक्षा.**—(1) नियम 7 के उप नियम (2) या उप नियम (3) के अधीन सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी:

परन्तु नियंत्रक अधिकारी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगा।

परन्तु यह और कि परिवीक्षा अवधि के विस्तार के लिए कोई विनिश्चय पिछली परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात साधारणत: आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के कारणों के साथ संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में संसूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा या उसके किसी विस्तार के पूरा होने पर, यथास्थिति, अधिकारी की स्थायी नियुक्ति के लिए यदि ठीक समझे, नियमित आधार पर उसकी नियुक्ति में प्रतिधारित की जाएगी और उपलब्ध पर्याप्त रिक्ति के विरूद्ध बाद में उसे अभिपुष्ट किया जाएगा।

(3) यदि, यथास्थिति, किसी परीवीक्षा या उसके किसी विस्तार की अवधि के दौरान, सरकार की यह राय हो कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए ठीक नहीं है, तो सरकार अधिकारी को यथास्थिति सेवा से उन्मुक्त या सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगी।

(4) किसी परिवीक्षा या उसके किसी विस्तार की अवधि के दौरान सरकार द्वारा अभ्यर्थी से परिवीक्षक को समाधानप्रदरूप में पूरा करने की शर्त के रूप में, ऐसे पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण और शिक्षण प्राप्त करने तथा ऐसी परीक्षा और परीक्षण (जिसके अंतर्गत हिन्दी के परीक्षा भी हैं) जो सरकार ठीक समझे, उत्तीर्ण करने की अपेक्षा होगी।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में, अभ्यर्थी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

9. **ज्येष्ठता.**—(1) इन नियमों के प्रारम्भ पर सेवा के सदस्यों की संबंधित ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पूर्व यथा-निर्धारित उनके संबंधित ग्रेडों में उनकी संबंधित ज्येष्ठता होगी:

परन्तु यदि इस सेवा के किसी सदस्य की ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व निर्धारित नहीं की गई है, तो उसे सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(2) प्रारंभिक गठन के पश्चात इस सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता को इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

(3) उपर्युक्त उपाबंधों के अंतर्गत न आने वाले अधिकारियों की ज्येष्ठता को सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित किया जाएगा।

10. **अकृत्यिक उन्नयन.**—(1) जब कभी राज्य के संयुक्त काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति केन्द्र में 13क के सिवाय किसी विनिर्दिष्ट ग्रेड के लिए वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 से लेवल 15, के उच्च प्रशासनिक ग्रेड में की जाती है, तो इस सेवा के वैच के अधिकारी जो कि दो वर्ष या इससे अधिक ज्येष्ठ होते हैं तथा जिन्हें उस विशेष संवर्ग में अबतक प्रोन्नत नहीं किया गया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों को उस विशेष ग्रेड में केन्द्र में तैनाती की तारीख से अकृत्यिक आधार पर वेतन मैट्रिक्स में वही लेवल दिया जाएगा।

(2) किसी विनिर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स में लेवल में उन्नयन के लिए 'बेंचमार्क' सहित सभी विहित पात्रता मानदंड तथा प्रोन्नति मानकों को वेतन मैट्रिक्स में उच्च लेवल प्रदान किए जाने के लिए छान-बीन के समय पूरा करना होगा।

(3) उपर्युक्त खण्ड (1) में वर्णित अकृत्यिक उन्नयन प्रदान किया जाना-

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा।

(ii) अनुसूची-4 में यथाविनिर्दिष्ट छान-बीन समिति की सिफारिशों के अनुसार होगा।

11. **सेवा-शर्तें.**—(1) इस सेवा के लिए नियुक्त कोई अधिकारी कहीं भी सेवा देने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके अंतर्गत भारत में या भारत के बाहर फील्ड सेवा तथा सेना डाक सेवा भी है।

(2) ऐसे मामलों के संबंध में इस सेवा के ऐसे अधिकारियों की सेवा शर्तें जिनके लिए इन नियमों के अधीन कोई उपाबंध नहीं किया गया है; वही होंगी जो समय-समय पर केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों को लागू होती हैं।

12. **निरर्हता.**—कोई व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिनका पति या जिनकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

इस सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

13. **निर्वचन.**—इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो उसका विनिश्चय करेगी।

14. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपाबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

15. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों,आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपाबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची -I
[उप नियम – 6 (1) देखें]

ग्रेड, पदनाम, वेतन मैट्रिक्स में लेवल तथा प्राधिकृत संख्या

क्र. सं.	ग्रेड	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	प्राधिकृत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उच्चतम वेतनमान	महानिदेशक डाक सेवाएं	लेवल 17 (रु. 2,25,000)	1
2.	उच्च प्रशासनिक ग्रेड+	सदस्य, डाक सेवा बोर्ड या अपर महानिदेशक (समन्वय)	लेवल 16 (रु. 2,05,400 – 2,24,400)	7
3.	उच्च प्रशासनिक ग्रेड	मुख्य पोस्टमास्टर जनरल या मुख्य महाप्रबंधक या ज्येष्ठ उप महानिदेशक, निदेशक, रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी या समतुल्य	लेवल 15 (रु.1,82,200 - 2,24,100)	27
4.	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	पोस्टमास्टर जनरल या उप महानिदेशक या महाप्रबंधक या अपर निदेशक, रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी या समतुल्य	लेवल 14 (रु.1,44,200 - 2,18,200)	78
5.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अकृत्यिक चयन ग्रेड)	निदेशक या निदेशक डाक सेवा या अपर महाप्रबंधक या संयुक्त निदेशक, रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी या समतुल्य	लेवल 13 (रु. 1,18,500 - 2,14,100)	ज्येष्ठ कर्तव्य पदों का 30% (अर्थात ज्येष्ठ समय-मान में पद तथा इससे ऊपर), परन्तु कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड सहित कुल संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की प्राधिकृत संख्या से अधिक नहीं होगी।

6.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	निदेशक या निदेशक, डाक सेवा या अपर महाप्रबंधक अथवा संयुक्त निदेशक, रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी या समतुल्य	लेवल 12 (रु. 78,800 - 2,09,200)	109
7.	ज्येष्ठ समय-मान	सहायक महानिदेशक या उप महाप्रबंधक या ज्येष्ठ अधीक्षक, डाकघर या ज्येष्ठ अधीक्षक, रेल डाक सेवा या सहायक पोस्टमास्टर जनरल या मुख्य पोस्टमास्टर या उप निदेशक या समतुल्य	लेवल 11 (रु. 67,700 - 2,08,700)	102
8.	कनिष्ठ समय-मान	सहायक महानिदेशक या उप महाप्रबंधक या ज्येष्ठ अधीक्षक, डाकघर या ज्येष्ठ अधीक्षक, रेल डाक सेवा या सहायक पोस्टमास्टर जनरल या मुख्य पोस्टमास्टर या उप निदेशक या समतुल्य	लेवल 10 (रु. 56,100 - 1,77,500)	151
9.	आरक्षित			86
	कुल			**561**

अनुसूची -2

[नियम – 7 देखें]

भारतीय डाक सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सम्मिलित कर्तव्य पदों पर प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की नियुक्ति हेतु अगले निम्नतम ग्रेड में भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा

क्र. सं.	ग्रेड	भर्ती की पद्धति	क्या चयनित पद या गैर-चयनित पद	प्रोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उच्चतम वेतनमान वेतन मैट्रिक्स में लेवल 17 (रु. 2,25,000)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात की गई इस ग्रेड में 01 वर्ष की सेवा के साथ उच्च प्रशासनिक ग्रेड+ में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 16 (रु. 2,05,400 – 2,24,400) में सेवा के अधिकारी।
2.	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड+ वेतन मैट्रिक्स में लेवल 16 (रु. 2,05,400 – 2,24,400)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात की गई इस ग्रेड में 01 वर्ष की सेवा के साथ उच्च प्रशासनिक ग्रेड में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 15 (रु. 1,82,200 – 2,24,100) में सेवा के अधिकारी।
3.	उच्च प्रशासनिक ग्रेड वेतन मैट्रिक्स में लेवल 15 (रु. 1,82,200 – 2,24,100)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात की गई इस ग्रेड में 03 वर्ष की सेवा के साथ ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14 (रु. 1,44,200 – 2,18,200) में सेवा के अधिकारी या इस सेवा में समूह 'क' में 25 वर्ष की नियमित सेवा सहित जिसमें ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कम से कम 01 वर्ष की सेवा होनी चाहिए, जिन्होंने न्यूनतम 02 सप्ताह का उच्चतर विकास कार्यक्रम या विभागीय प्रतिष्ठापन या विहित सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
4.	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14 (रु. 1,44,200 – 2,18,200)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और अकृत्यिक चयन ग्रेड, यदि नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् की गई हो, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में 08 वर्ष की संयुक्त सेवा के साथ, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 (रु. 78,800 – 2,09,200) में सेवा के अधिकारी या इस सेवा में समूह 'क' पदों में सत्रह वर्ष की नियमित सेवा सहित जिसमें कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अकृत्यिक चयन ग्रेड) के साथ कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा होनी चाहिए, जिन्होंने सफलतापूर्वक न्यूनतम दो सप्ताह का प्रबंधन विकास कार्यक्रम या विभागीय प्रतिष्ठापन या विहित सेवाकालीन प्रशिक्षण पूरा किया हो।

5.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अकृत्यिक चयन ग्रेड) वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 (रु. 1,18,500 – 2,14,100)	उपलब्धता के अध्यधीन ज्येष्ठता के आधार पर नियोजन द्वारा	-	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 (रु.78,800 – 2,09,200) में सेवा के अधिकारी जिन्होंने परीक्षा के अगले वर्ष से परिकलित वर्ष की 01 जनवरी को सेवा के 14 वर्ष पूरे कर लिए हों जिसके आधार पर सदस्य की सेवा मे भर्ती की गई थी या प्रोन्नति पर कनिष्ठ समय-मान की चयन सूची में सम्मिलित वर्ष।
6.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 (रु.78,800 – 2,09,200)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात की गई इस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा के साथ ज्येष्ठ समयमान में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 (रु.67,700 – 2,08,700) में सेवा के अधिकारी जिन्होंने दो सप्ताह का कार्यपालक विकास कार्यक्रम या विभागीय प्रतिष्ठापन या विहित सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
7.	ज्येष्ठ समय-मान वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 (रु. 67,700 – 2,08,700)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात की गई इस ग्रेड में चार वर्ष की सेवा के साथ कनिष्ठ समयमान में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 (रु. 56,100 – 1,77,500) में सेवा के अधिकारी जिन्होंने दो सप्ताह का विभागीय प्रतिष्ठापन या विहित सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
8.	कनिष्ठ समय-मान वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 (रु. 56,100 – 1,77,500)	(i) 50% सीधीभर्ती द्वारा (ii) 50% प्रोन्नति द्वारा	(i) चयन (ii) चयन	(i) आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से (ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् की गई उन ग्रेडों में दो वर्ष की सेवा के साथ डाक सेवा, समूह 'ख' में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 9 (रु. 53,100 – 1,67,800) और ज्येष्ठ पोस्टमास्टर ग्रेड में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 (रु.47,600 – 1,51,100) के अधिकारी, जिन्होंने न्यूनतम दो सप्ताह का विभागीय प्रतिष्ठापन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

<u>टिप्पण 1</u>: विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की पात्रता अवधारित करने के लिए इन सभी ग्रेडों में निर्णायक तारीख सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होगी।

<u>टिप्पण 2:</u> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अनुसूची -3

[उप नियम 7(3) और (4) देखें]

भारतीय डाक सेवा के समूह 'क' के अधिकारियों की प्रोन्नति और पुष्टि करने संबंधी मामलों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति और विभागीय पुष्टिकरण समिति की संरचना

क्र. सं.	ग्रेड	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति /छान-बीन समिति (प्रोन्नति हेतु विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-	समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण हेतु विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उच्चतम वेतनमान वेतन मैट्रिक्स में लेवल 17 (रु. 2,25,000)	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. सचिव (डाक) – सदस्य 3. सचिव (आर्थिक कार्य विभाग) – सदस्य	लागू नहीं होता।
2.	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड+ वेतन मैट्रिक्स में	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष	लागू नहीं होता।